



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



RS. 500
GIAL

AK 687583

ट्रस्ट डीड (उपनिवन्धक तृतीय)

स्टाम्प शूलक:-750/-रुपये।

फोटो प्रमाणितकर्ता:-

यह ट्रस्ट डीड आज दिसम्बर माह की तिथि 14-12-2020 को कोहिनूर चैरिटेबल ट्रस्ट ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर के नाम से घोषित किया गया। इसके संस्थापक श्री मेहताब आलम पुत्र श्री सईद अहमद निवासी ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर आधार नम्बर-8556 2432 5605 हैं। संस्थापक श्री मेहताब आलम पूर्णतया चैरिटेबल कार्य में आस्था रखने वाले हैं और सभी वर्गों के व्यक्तियों के हितों के लिए धर्मार्थ व कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं।

mentation



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 077607

2

1.	द्रस्ट का नाम ...	कोहिनूर चैरिटेबल द्रस्ट।
2.	द्रस्ट का कार्यालय	ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।
3.	द्रस्ट का कार्यक्षेत्र	सम्पूर्ण भारतवर्ष होगा।
4.	द्रस्ट के उद्देश्य	<p>1. शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार व प्रसार करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में विकास की विभिन्न योजनाओं को तैयार करना एवं अल्प संख्यक समुदाय अनुसूचित जाति, जनजाति व निर्धन वर्ग के बच्चों की शैक्षिक एवं सामाजिक रूप में उत्थान के लिए कार्य करना।</p>

मेन्टेन आर्क्युलेर

क्रमांक १५९ मिति १०-१२-२०२०
 स्टाम्प का मूल्य
 (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) ५०
 राष्ट्रीय पत्र या प्राप्ति विलेख का संख्या
 प्राप्ति विलेख का दूसरा संख्या ७
 सेल्यूप्रिंट पर छाकार
 राष्ट्रीय भिन्नों का नाम : *राजेश कुमार*
 अनुसन्धान विवरण : इसका तिथि ३१-३-२०२२
 स्टाम्प दिल्ली का राष्ट्रीय विलेख कार्यालय, सहारनपुर

आवेदन सं: 202000702036534

न्यास पत्र

बही सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 173

वर्ष: 2020

प्रतिफल- 10000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 750 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 120 योग : 870

श्री महताव आलम,

पुत्र श्री सईद अहमद

व्यवसाय : अन्य

निवासी: नथमलपुर तहसील व जिला सहारनपुर

Mehrab Alam

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/12/2020 एवं 02:09:01 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



रुपेश कुमार मिश्र

उप निवंधक : सदर तृतीय

सहारनपुर

14/12/2020

(दीपक गुप्ता)

निबंधक लिपिक



भारतीय गैर-न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

सर्वमंद जायज़

INDIA

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 077608

3

2. ग्रामीण लोगो को सरकारी व अर्ध सरकारी व अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं एवं कार्यक्रम को विस्तृत रूप से अवगत कराने में सहायता प्रदान करना।
3. जैविक कृषि के लिए कृषकों को प्रोत्साहित करना।
4. सभी उद्योग, ग्रामोद्योग एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रमों का प्रचार एवं प्रसार करने व उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में सहायता करना। प्राप्त आय को चैरिटेबल कार्य में लगाना।
5. सरकारी योजनाओं, प्रयोजनों से सम्बन्धित कार्यक्रमों को बनाने के

mentab Aman

159 10-12-2022
 क्रमांक.....
 रसायन का सूत्र.....
 (गव्वा और बीजीय)..... 50
 खारीदार द्वारा दायर की गई तिथि.....
 प्रक्रियारूप पूछा गया.....
 लेखपत्र का प्रमाण... आवेदन सं.: 202000702036534.

स्टार्ट रिफ़ेरेन्स नाम :

अनुशासित सं. 10 अद्यादि 2022

स्टार्ट दिनी की रकम/लाभ/उत्तराधिकारी का नाम/उपाधि

बही सं: 4

रजिस्ट्रेशन सं: 173

वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि क प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्री महताब आलम, पुत्र श्री सईद अहमद



निवासी: नथमलपुर तहसील व जिला सहारनपुर

व्यवसाय: अन्य

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री अरविन्द कुमार, पुत्र श्री सोम प्रकाश



निवासी: उग्रपुर तहसील व जिला सहारनपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता: 2

श्री जाकिर, पुत्र श्री अब्दुल वहीद



निवासी: नथमलपुर तहसील व जिला सहारनपुर

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए

गए हैं।

टिप्पणी:



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रूपेश कुमार मिश्र

उप निबंधक: सदर तृतीय

सहारनपुर

(दीपक गुप्ता)

निबंधक लिपिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 077609

4

लिए, चलवाने के लिए उचित योजना एवं नीतियां निर्धारित करना व उनको नियमानुसार चलाना।

6. पर्यावरण सुधार के लिए वृक्षारोपण, बंजर भूमि सुधार कार्यक्रम चलाना, पोषक वाटिका के अन्तर्गत फलदार पौधों का वितरण करना एवं कराना तथा वृक्षों के अवैध कटान रुकवाने का प्रयास करना।
7. नई कृषि तकनीक एवं कृषि उद्योग की जानकारी कृषि प्रदर्शनी, मेलो, सैमिनार तथा गोष्ठियों के माध्यम से कृषकों को ग्राम स्तर पर नई नई जानकारी देना तथा सरकारी सहायता से कृषकों के

Mukesh Kumar

भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹.50

भारत

FIFTY
RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 077610

5

बौद्धिक विकास के लिए स्टडी टूर कृषक भ्रमण करना।

8. नसरी प्रशिक्षण, महिला रोजगार परक कार्यक्रम चलाना तथा महिला जागरूकता, मधुमक्खी पालन, मतस्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, रेशम, आचार, शरबत, केचुआ पालन, भीरा मुरब्बे, चटनी, सिलाई कढाई व सम्बन्धित अन्य प्रशिक्षण देना तथा कच्चे माल व पक्के माल की क्य विक्रय सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना।
9. भारतीय संस्कृति एवं कला के विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।
10. समाज के पिछडे हुए एवं अपेक्षित वर्ग के लोगों को शैक्षिक व सामाजिक विकास हेतु प्रोत्साहित करना। असहाय बच्चों के शैक्षिक

मेन्टोर फॉलो

भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 077611

6

भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करना।

11. जाति धर्म और भाषा पर उत्पन्न हुए वैमनस्य की भावना को दूर करना। राष्ट्रीय एकता की भावना को पैदा करना।
12. खादी, ग्रामोद्योग, सर्वोदय, धार्मिक पुस्तकों एवं प्रशिक्षण प्रचार सम्बन्धी पत्रिका का प्रकाशन करना व्यवस्था एवं प्रचार करना।
13. देश विदेश एवं प्रदेश की समउददेश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना व उददेश्यों की पूर्ति करना।
14. अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संयंत्रों, गोबर गैस, सौर ऊर्जा

मैटल ब्लॉ.



तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रम का प्रदर्शन एवं विकास करना।

15. सभी वर्गों के बच्चों की शिक्षा हेतु सभी विषयों में प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा उनका प्रबन्ध संचालन करना तथा टैक्नीकल एवं नॉन टैक्नीकल, मैडिकल व सभी व्यवसायिक शिक्षा व शारीरिक शिक्षा एवं योग शिक्षा हेतु संस्थाओं की स्थापना करना व पुस्तकालयों व छात्रावास की स्थापना करना और उनका प्रबन्ध संचालन करना।
16. जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश हेतु सरकारी योजनाओं में सहयोग करना।
17. प्रोढ़ शिक्षा हेतु कार्यक्रमों का संचालन करना।
18. बच्चों में खेल की रुचि का सर्जन करने हेतु जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
19. बच्चों का विशेषकर अल्प संख्यक वर्ग के बच्चों के मानसिक विकास हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करना तथा निर्धन व बेसहारा बच्चों को उच्च शिक्षा व प्रतियोगिता परीक्षाएं दिलाने हेतु कोचिंग सैन्टरों की स्थापना करना व उनका प्रबन्ध संचालन करना।
20. नशा मुक्ति उनमूलन हेतु कार्य करना तथा समाज को नशा मुक्त करने का प्रयास करना तथा नशा मुक्ति केन्द्र स्थापित करना।
21. अन्य वह कार्य जो ट्रस्ट की उन्नति हेतु आवश्यक हैं।

22. गरीब व अनाथ लड़कियों की शिक्षा व लालन पालन के लिए कन्या विद्यालयों व कन्या गुरुकुलों की स्थापना करना एवं गरीब बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराना।
23. अपाहिज और अविकसित व्यक्तियों को हर सम्भव सहायता प्रदान कराना।
24. समाज के सभी वर्ग के व्यक्तियों को दहेज जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए प्रोत्साहित करना।
25. बाल रोजगार, बाल शोषण एवं बालिकाओं के शोषण के प्रति लोगों को जागरूक करना व इससे पीड़ित बच्चों को न्याय दिलाना।
26. गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना।
27. गरीब बच्चों के लिए अनाथ आश्रम तथा गरीब महिलाओं हेतु आश्रम बनवाना व वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाना।
28. निर्धन कन्याओं व बच्चों को निःशुल्क सिलाई कढाई, दस्तकारी, टाईप, कम्पयूटर, शार्ट हैंड आदि का प्रशिक्षण देना।

5. ट्रस्टीज के नाम व पते:- ...

ट्रस्टीज की कुल संख्या-5 होगी। जिसमें एक संस्थापक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, सचिव व कोषाध्यक्ष होंगे। संस्थापक अध्यक्ष, प्रबन्धक जीवन प्रयन्त तक अपने पद पर बने रहेंगे तथा संस्थापक अध्यक्ष को शेष को बिना कारण बताये उनके पद से हटाने का अधिकार होगा तथा उनके स्थान पर नये पदाधिकारी/ट्रस्टी की नियुक्ति संस्थापक अध्यक्ष स्वयं करेंगे। वर्तमान में सभी

Mewar Foundation

पदाधिकारी अपने जीवन काल में आजीवन बने रहेंगे तथा संस्थापक अध्यक्ष की मृत्यु उपरान्त उनके परिवार का वरिष्ठ सदस्य उनका स्थान लेगा यही कम हमेशा जारी रहेगा। वर्तमान में सभी पदाधिकारी अपने स्थान पर बने रहेंगे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके परिवार के व्यक्तियों में से ही उनकी नियुक्ति होगी तथा यही कम हमेशा के लिए जारी रहेगा। संस्थापक अध्यक्ष को बीस ट्रस्टी दो वर्ष की अवधि हेतु चुनने का अधिकार होगा परन्तु इन ट्रस्टियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

क्र सं०	नाम/पिता का नाम व पता	पद	व्यवसाय
1.	मेहताब आलम पुत्र श्री सईद अहमद निवासी ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर। आधार नम्बर-8556 2432 5605 मोबाइल नम्बर-9758835786	संस्थापक अध्यक्ष	खेती।
2.	मौ० फैजान पुत्र मौ० सईद अहमद निवासी ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।	उपाध्यक्ष।	खेती।-
3.	सईद अहमद पुत्र श्री मौ० उमर निवासी ग्राम नथमलपुर,	प्रबन्धक।	खेती।

Mention Attest.

	तहसील व जिला सहारनपुर।		
4.	दिलशाद पुत्र सईद अहमद निवासी ग्राम... नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।	सचिव।	खेती।
5.	मौ० इमदाद पुत्र श्री सईद अहमद निवासी ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।	कोषाध्यक्ष	खेती व व्यापार।

द्रस्ट की नियमावली

1.	द्रस्ट का नाम	कोहिनूर चैरिटेबल द्रस्ट।
2.	द्रस्ट का कार्यालय	ग्राम नथमलपुर, तहसील व जिला सहारनपुर।
3.	द्रस्ट की सदस्यता।	1:- आजीवन द्रस्टी:- जो द्रस्ट को 11,000/-रुपये देगा व द्रस्ट का आजीवन द्रस्टी होगा। 2:- साधारण सदस्य:- जो द्रस्टी द्रस्ट को 500/-रुपये वार्षिक देगा वह द्रस्ट का साधारण सदस्य होगा।
4.	द्रस्टीज की द्रस्टीशिप की	द्रस्ट के द्रस्टीज की द्रस्टीशिप की

Mukti Abhiyan -

	समाप्ति	समाप्ति निम्नलिखित दशा में होगी:- <ol style="list-style-type: none"> 1. मृत्यु हो जाने पर। 2. दिवालिया हो जाने पर। 3. पागल हो जाने पर। 4. किसी न्यायालय द्वारा कारावास से दण्डित किये जाने पर। 5. आवश्यक सदस्यता शुल्क न देने पर। 6. स्वयं त्याग पत्र देने पर। 7. ट्रस्ट के उददेश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 8. ट्रस्ट के नियमों के विरुद्ध कार्य करने पर अध्यक्ष द्वारा ट्रस्टीशिप समाप्त कर दी जाएगी।
5.	वित्तीय वर्ष	ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होगा।
6.	ट्रस्ट के अंग	<p>अः— ट्रस्ट बोर्ड।</p> <p>बः— ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी।</p> <p>अ ट्रस्ट बोर्डः— ट्रस्ट का एक बोर्ड होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रस्टीज शामिल रहेंगे। वर्तमान में ट्रस्टबोर्ड की सदस्य</p>

mentous Afam

		<p>संख्या-5 हैं। जिसकी संख्या कभी भी संस्थान के संस्थापक द्वारा बढ़ायी या घटायी जा सकती हैं।</p>
	<p>ट्रस्ट बोर्ड के अधिकार एवं कर्तव्य:-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना। 2. किसी भी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाने पर व अन्य ट्रस्टी की रिक्ती के स्थान पर नियुक्ति का अधिकार जिसमें संस्थापक अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी। 3. ट्रस्ट की उन्नति के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार आदि से दान-अनुदान प्राप्त करना तथा विधायक निधि, सासंद निधि व अन्य वित्तीय संस्थाओं से दान अनुदान प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट समाज सेवी संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त कर सकता है तथा अपनी उन्नति हेतु सरकारी गैर सरकारी बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा इस कार्य के लिए अपनी चल अचल सम्पत्ति बन्धक

Mental Atom.

		<p>रख सकता है। द्रस्ट के उददेश्य की पूर्ति हेतु देश तथा विदेश से इच्छुक व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त करना।</p> <p>4. द्रस्ट के उददेश्य के विपरीत कार्य करने पर किसी भी द्रस्टी के विरुद्ध कार्यवाही करना आवश्यक हो तो उसे हटाना। किसी भी द्रस्टी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना परन्तु इस कार्य में संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति आवश्यक होगी।</p> <p>5. द्रस्ट की उन्नति हेतु समयानुसार द्रस्ट के नियमों में $2/3$ बहुमत से संशोधन करना।</p> <p>6. अन्य वह कार्य करना जो समयानुसार द्रस्ट के विकास हेतु आवश्यक हो और आवश्यकता पड़ने पर भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं भी उपकार्यालय की स्थापना करना।</p> <p>7. द्रस्ट की अचल सम्पत्ति क्य विक्रय लीज पर देना व विनियम आदि करना।</p>
--	--	---

Mewab Alam.

		<p>जिसमें संस्थापक अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होगी।</p> <p>ट्रस्ट बोर्ड की मीटिंग:-</p>
		<p>ट्रस्ट बोर्ड की वार्षिक मीटिंग वर्ष में केवल एक बार होगी आवश्यकतानुसार विशेष मीटिंग कभी भी बुलायी जा सकती हैं। साधारण सभा की सूचना दस दिन पूर्व पंजीकृत डाक, समाचार पत्र या व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी तथा विशेष बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप से या मोबाइल के द्वारा दी जाएगी।</p> <p>ब) ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी</p> <p>ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी का गठन ट्रस्ट की ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किया जायेगा। जिसमें संस्थापक अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष होंगे। प्रबन्धकारिणी की वर्ष में तीन बैठके होगी। विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है। सामान्य बैठक के लिए 8 दिन पूर्व सूचना पंजीकृत डाक से, समाचार पत्र अथवा व्यक्तिगत रूप से सूचना दे दी जाएगी तथा विशेष बैठक के लिए दो दिन पूर्व व्यक्तिगत रूप से अथवा मोबाइल से</p>

Mental Review.

	सूचना दी जाएगी।
--	-----------------

ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन करना।
2. ट्रस्ट के लाभ के लिए चल व अचल सम्पत्ति का क्य विक्य ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार करना।
3. वार्षिक बजट पास कराने हेतु ट्रस्ट की बैठक के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा आगामी बजट का ब्यौरा देना।
4. अन्य वह कार्य करना जो ट्रस्ट के हितार्थ समयानुसार आवश्यक हो।

ट्रस्ट के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्यः—

1. संस्थापक अध्यक्षः—

1. ट्रस्ट की सभी प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. ट्रस्ट की प्रत्येक मीटिंग हेतु नोटिस जारी करना।
3. आवश्यक खर्च हेतु 15,000/-रुपये की धनराशि अपने पास रखना।
4. ट्रस्ट के प्रबन्ध संचालन हेतु सचिव को निर्देश देना।
5. ट्रस्टी बनाने के लिए सदस्यता रसीद जारी करना।

Mental Atom.

6. ट्रस्ट के सभी न्यायिक कार्यों में स्वयं अपने आप या अपने प्रतिनिधि से पैरवी करना या कराना।
7. ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट की अचल सम्पत्ति क्य व विक्रय, लीज व विनियम करना।
8. आय-व्यय के बाउचरों पर अपने हस्ताक्षर करना।
9. अन्य वह कार्य करना जो समयानुसार ट्रस्ट की उन्नति के लिए आवश्यक हो।
10. ट्रस्ट के प्रत्येक कार्य संस्थापक अध्यक्ष की सहमति से होगे।

2. उपाध्यक्षः—

1. संस्थापक अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्थापक अध्यक्ष को प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों का निर्वहन करना।

3. प्रबन्धकः—

1. ट्रस्ट का प्रबन्ध संचालन संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार।

4. सचिवः—

1. संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति से कार्यकारिणी कमेटी व साधारण सभा की बैठक बुलाना बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में लिखना तथा बैठक में लिये गये निणयों को कियान्वित करना व कराना।

Mental Room.

2. सचिव अपने विवेक से 10,000/- रुपये तक एक बार में खर्च कर सकता है इससे अधिक के लिए संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
 3. सभी बाउचरों की जाँच के उपरान्त संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति से भुगतान करने की संस्तुति करना तथा द्रस्ट के कर्मचारी आदि को वेतन आदि का भुगतान करना।
 4. संस्थापक अध्यक्ष की अनुमति से द्रस्ट में नए कर्मचारियों की नियुक्ति व पद अवमुक्त करना।
 5. किसी भी मामले में आवश्यकता पड़ने पर वाद योजित करना, वकील आदि नियुक्त करके वाद चलाना उसकी पैरवी करना।
 6. सभी प्रकार के प्रार्थना पत्रों व पत्र व्यवहार का तदनुसार जवाब देना और पत्र व्यवहार करना।
 5. कोषाध्यक्ष:-
 1. द्रस्ट के आय व्यय का ब्लौरा अपने पास रखना तथा कैशबुक लिखना आय व्यय के बाउचर्स को अपने पास सुरक्षित रखना तथा द्रस्ट के कोष के सम्बन्ध में संस्थापक अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना। 7. कोरम:-
- द्रस्ट के कुल द्रस्टीज का 2/3 होगा।
- Mental Atm.*

8. ट्रस्ट की नियमावली में संशोधन:-

कुल ट्रस्टीज की संख्या के $2/3$ बहुमत-से ट्रस्ट के नियमों में संशोधन किया जा सकेगा।

9. कानूनी कार्यवाही:-

ट्रस्ट की ओर से व ट्रस्ट के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही संस्थापक अध्यक्ष द्वारा अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति द्वारा करना।

10. धन प्राप्ति:-

ट्रस्ट अपनी तरक्की हेतु सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं से धन प्राप्त कर सकता है तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से प्राप्त कर सकता है तथा ट्रस्ट के उददेश्यों की पूर्ति हेतु देश विदेशों से इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं से आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकता है।

11. ट्रस्ट का कोष:-

किसी राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, डाकघर में रहेगा तथा ट्रस्ट के नाम से खाता खोला जाएगा और खाते के संचालन संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा।

Murtala Aliw.

12. ट्रस्ट के अभिलेख:-

कार्यवाही रजिस्टर, एजेंडा रजिस्टर, ट्रस्टशिप रजिस्टर, कैशबुक, रसीद बुक, स्टैम्प व अन्य आवश्यक कागजात।

13:- ट्रस्ट का विघटन:-

ट्रस्ट का विघटन विशेष परिस्थितियों में ट्रस्ट बोर्ड के निर्णय पर भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार होगा।

14:- ट्रस्ट की सम्पत्ति:-

ट्रस्ट के पंजीयन हेतु 10,000/-रुपये की चल धनराशि उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के पास कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं हैं। जिसके आधार पर स्टाम्प शूल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है।

उपरोक्त कोहिनूर चैरिटेबल के संस्थापक अध्यक्ष मेहताब आलम ने दस्तावेज के सभी नियमों व उपनियमों को सोच समझकर स्वस्थ चित से ट्रस्ट अधिनियमों के प्राविधानों के अनुसार पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है। जिसकी तस्दीक आज दिनांक 14-12-2020 को निम्न साक्षीगण के उपस्थिति में की गयी तथा ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन हेतु पूर्ण बहुमत से संस्थापक अध्यक्ष को अधिकृत

Mehatab Aliam.

किया गया है। ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी वाद विवाद जिला सहारनपुर के न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मान्य होंगे।

ह0 ट्रस्टीज़:- *Mewtao Alem*

ह0 साक्षी 1:-

श्री अरविंद कुमार पुत्र श्री सोम प्रकाश
निवासी ग्राम उगरपुर, तहसील व
जिला सहारनपुर।

मोबाइल नम्बर—9536569857

[Signature]



Code No.—1509

Civil Court Saharanpur

ह0 साक्षी 2:-

जाकिर पुत्र अब्दुल वहीद निवासी ग्राम
नथमलपुर, तहसील व जिला
सहारनपुर।

मोबाइल नम्बर— 9634707686

Jakir



Code No.—1509

Civil Court Saharanpur

लेखितिथि:- 14.12.2020

रचियता:-

Pratap Singh
Ch. No. 1509 Advocate
Reg. No. 3
Code No.—1509
Civil Court Saharanpur

01

महाराष्ट्र राज्य निवास विभाग के अनुसार ५८०५१६ संख्या पर्याप्त
तांत्रिक इकाई द्वारा की गयी विवरणों की विवाहित

आवेदन सं.: 202000702036534

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 120 के पृष्ठ 181 से 226 तक क्रमांक 173 पर
दिनांक 14/12/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

रुपेश कुमार मिश्र
उप निबंधक : सदर तृतीय
सहारनपुर
14/12/2020

